**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद पत्र संख्या :– 20/2019

**उनवान**

1 बजरंगलाल जांगिड पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
2 राजेश कुमार जांगिड पुत्र श्री मालीराम
समस्त व्यस्क, जाति खाती, निवासी–जाजैकलां, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादीगण

बनाम

1 स्काईलैण्ड इन्फास्ट्रेक्चर एण्ड डवलपर प्रा0 लि0 खसरा नं0 1915/2 नजफगढ रोड, नागलाई दिल्ली–41, नजदीक वाटर प्लांट रोड नियर श्याम धर्मकाटा दिल्ली–41, जरिये डाईरेक्टर योगेश यादव पुत्र श्री किशन जाति अहीर, निवासी हाउस नं0–148 कमरूद्दीन नगर दिल्ली–41
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
3 उप पंजियक उपंजियन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर राज0

**प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए–1955**

निर्णय दिनांकः 30/7/2021

दावा संक्षेप में यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.07, 255 रकबा 0.05, 256 रकबा 0.04, 257 रकबा 0.03, 259 रकबा 0.22 कुल किता 5 रकबा 0.41 है0 वाकै ग्राम जाजैखुर्द, पटवारी हल्का देवन–बी, तहसील शाहपुरा में स्थित है। उक्त आराजी में से प्रतिवादी सं0 1 ने आराजी ख0न0 256 रकबा 0.04 है0 वाकै ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को पूर्ण प्रतिफल राशि लेकर वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2014 द्वारा बेचान कर वादीगण को कब्जा सम्भलाया गया है। वादीगण अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा न0 256 रकबा 0.04 है0 वाकै ग्राम जाजेखुर्द पर काबिज रहकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है।

यह कि प्रतिवादी सं0 1 का आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.04 है0 की भूमि से अथवा उसके किसी भाग से दिनांक 10.11.2014 के बाद कोई हक अधिकार व सम्बन्ध नहीं रहा है, वादीगण खरीद के बाद अपनी खरीदशुदा भूमि खसरा नं0 256 पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। वादीगण ने अपनी खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तत्समय पटवारी हल्का को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2014 की प्रति दे दी थी और पटवारी हल्का ने वादीगण को आश्वस्त कर दिया था कि शीघ्र ही आपका नाम आपकी खरीदशुदा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जावेगा। लेकिन सहवन से वादीगण का नाम दर्ज नहीं हो सका । इसलिए प्रतिवादी सं0 1 का आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज रह जाने व वादीगण के नाम उक्त आराजी का सहवन से खाता नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण प्रतिवादी सं01 के मन में बेंईमानी आ गई और वह अब आराजी को किसी अजनबी व्यक्ति को अन्तरण कर उसके पक्ष में अन्तरणडीड प्रतिवादी सं0 3 के कार्यालय में पंजिबद्व कराने पर आमादा है। प्रतिवादी सं0 1 ने वादीगण को दिनांक 10.4.2019 को एलानिया धमकी दी कि वह दो चार दिन में वादीगण की खरीदशुदा भूमि ख0नं0 256 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द को किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर उसके पक्ष में राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने व जबरन बैदखल करने पर आमादा होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ । अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा न0 256 रकबा 0.04 है0 वाकै ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 स्काईलैण्ड इन्फास्ट्रेक्चर एण्ड डवलपर प्रा0लि0 खसरा न0 1915/2 नजफगढ रोढ, नागलाई दिल्ली–41 नजदीक वाटर प्लाट रोड नियर श्याम धर्मकाटा दिल्ली–41 जरीये डाईरेक्टर योगश यादव पुत्र श्री किशन जाति अहीर, निवासी हाउस न0–148, कमरूद्दीन नगर दिल्ली–41 की जगह वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं0–1 का नाम हजफ फरमाया जावे तथा उक्त घोषणा का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि उक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे कास्त से बैदखल नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट की जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी सं0 1 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से भी की गई लेकिन अदम तामिल होने पर दिनांक 3.10.19 के हिन्दुस्तान एक्सप्रेस अखबार में जरिये नोटिस सूचना का प्रकाशन करवाया गया तथा एक माह बाद भी प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 5.12.2019 को विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

वकील वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी बजरंग लाल पुत्र जगदीश प्रसाद खाती व कैलाशचंद पुत्र गोकुराम जाति जाट निवासी मिंडा के शपथ पेश किये तथा अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करवाकर जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा न0 256 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द को दिनांक 10.11.2014 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रय पत्र की प्रति तत्समय हल्का पटवारी को दी गई लेकिन खाता नहीं खुला प्रतिवादी उक्त विक्रित भूमि का अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर आमादा है। अतः विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया । विवादित आराजी खसरा नं0 256 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा को दिनांक 10.11.2014 को प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादी सं0 1 व 2 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है विक्रय पत्र की प्रति भी वादी के द्वारा पेश की गई है तथा वादीगण के समर्थन में पेश किये गये शपथ पत्रों में भी प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादीगण को विवादित आराजी का बेचान होना तथा बेचान के बाद से ही वादीगण काबिज होकर कब्जा काश्त करना जाहिर होता है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा वादीगण की भूमि को अन्य दिगर व्यक्ति को बेचान करने हेतु आमादा होना सिद्व होता है तथा विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने से प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही विवादित आराजी दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त कर अन्य दिगर व्यक्ति को विक्रय करने तथा वादीगण को बेदखल कर अन्य दिगर व्यक्ति का कब्जा करना भी सिद्व होना पाया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादी के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.04 है0, वाके ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा विक्रय पत्र से वादीगण को बेचान करने से वादीगण सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तहसीलदार शाहपुरा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों/आदेशो/नियमो का इस संन्दर्भ में भलिभाति परिक्षण कर, जांच उपरांत नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

( मनमोहन मीना )
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 5

**मूल वाद में डिक्री**
**(आदेश 20 के नियम 6 और 7)**

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

**पीठासीन अधिकारी** :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

**वाद पत्र संख्या** :– 20/2019

**उनवान**

1 बजरंगलाल जांगिड पुत्र श्री जगदीश प्रसाद
2 राजेश कुमार जांगिड पुत्र श्री मालीराम
समस्त व्यस्क, जाति खाती, निवासी–जाजैकलां, तह0 शाहपुरा जिला जयुपर राज0

वादीगण

बनाम

1 स्काईलैण्ड इन्फास्ट्रेक्चर एण्ड डवलपर प्रा0 लि0 खसरा नं0 1915/2 नजफगढ रोड, नागलाई दिल्ली–41, नजदीक वाटर प्लांट रोड नियर श्याम धर्मकाटा दिल्ली–41, जरिये डाईरेक्टर योगेश यादव पुत्र श्री किशन जाति अहीर, निवासी हाउस नं0–148 कमरूद्दीन नगर दिल्ली–41
2 राजसीन सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0
3 उप पंजियक उपंजियन कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर राज0

**प्रतिवादीगण**

**<u>दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,,188 आर टी ए–1955</u>**

निर्णय दिनांक: 30.7.2021

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 256 रकबा 0.04 है0, वाके ग्राम जाजैखुर्द तहसील शाहपुरा के हाल दर्ज खातेदार प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा विक्रय पत्र से वादीगण को बेचान करने से वादीगण सं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तहसीलदार शाहपुरा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की गयी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों/आदेशो/नियमो का इस संन्दर्भ में भलिभांति परिक्षण कर, जांच उपरांत नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 30/7/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

( मनमोहन मीना )
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |